Open Access

IJASSH

International Journal of Arts, Social Sciences and Humanities

(A Quarterly, Refereed, & Peer Reviewed International Journal)
Published by: AAASSHER, Mumbai, (MS) India
Journal homepage: https://ijassh.aaassher.org/
ISSN (Online): 2584-1130
Volume 1, Issue 1, March 2023; Pages 36 –39
DOI: 10.5281/zenodo.8211215

Original Research Article

भारत में बाल अधिकार

बालाजी विलासराव महाळंकर

हिन्दी विभाग, कै. बापूसाहेब पाटील एकंबेकर महाविद्यालय, उदगीर जिला लातूर ४१३५१७ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: balajimahalankar@gmail.com

Received: 23 February, 2023 | Accepted: 24 March, 2023 | Published: 26 March, 2023

20 नवंबर 2007 को विश्व भर में वैश्विक बाल दिवस (अंतरराष्ट्रीय बालअधिकार दिवस) के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा हुई थी जो 20 नवंबर को स्वीकृति प्राप्त की गई थी। बाल अधिकार के अंतर्गत बच्चों के जीवन, पहचान, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा, मनोरंजन, नाम और राष्ट्रीयता, परिवार और पारिवारिक पर्यावरण, उपेक्षा से सुरक्षा, बदसलूकी, दुर्व्यवहार, बाल श्रम, गैर-कानूनी बच्चों का व्यापार आदि शामिल है। लोगों को बाल अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए संगठन, सरकारी विभाग, नागरिक, समाज समूह, एनजीओ आदि द्वारा कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बाल अधिकार उन अधिकारों का सम्मान करता है जिनके बल पर बच्चों को खुशी और अच्छे बचपन का अनुभव मिलता है.वैश्विक बाल दिवस इस विचार को फैलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस दिन कई संगठन बाल अधिकार के लिए जागरूकता फैलाने और हकों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरीकों से काम करते हैं।

भारत में, बाल अधिकार को संविधान द्वारा सुरक्षित किया गया है और बालकों के लिए विभिन्न कानून और नीतियां बनाई गई हैं। इसके बावजूद, बाल अधिकारों की धारणा अभी भी दृढ़ता से आगे बढ़ने की जरूरत है। बालों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, उन्हें संरक्षण देना, उनकी शिक्षा और विकास के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है।

बाल अधिकार एक मानवाधिकार है जो हम सभी को समझना चाहिए और इसके लिए हमें सभी एक साथ काम करना चाहिए। बालकों को उनके अधिकारों का उचित सम्मान देना हमारा कर्तव्य है।

महत्वपूर्ण शब्द: बाल अधिकार, बाल श्रम, बालाधिकार, वैश्विक बाल दिवस, बालाधिकार

संविधान द्वारा बच्चों को दिए गए बाल अधिकार

- भारत में बालाधिकार बच्चों के हक का संज्ञान होता है, जो संविधान द्वारा सुरक्षित है। इसका मतलब है कि हर बच्चे को उसके मूल अधिकारों से लेकर उसकी संपत्ति तक की सुरक्षा दी जानी चाहिए।
- भारतीय संविधान ने बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अधिकार सुरक्षित किए हैं, जैसे शिक्षा, स्वस्थ व्यक्तित्व, संरक्षण व देखभाल, खान-पान और विशेष विवेकाधिकार आदि।
- इसके अलावा, भारत में बाल श्रम (Child Labour) को अनुमति नहीं है और इसके लिए कड़ी सजा भी होती है। बच्चों को किसी भी व्यापार, उद्योग या सेवा में भ्रष्ट ढंग से जुड़ा नहीं होना चाहिए।
- भारत में बालाधिकार का पूरा अनुमान लगभग 50 करोड़ से अधिक बच्चों के लिए जारी है। इन बच्चों में से बहुत सारे गरीब और दुर्बल श्रेणी के होते हैं, जिन्हें समाज के द्वारा उचित रूप से संरक्षण और देखभाल की जरूरत होती है। विस्तृत रूप से बालाधिकार को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं।

१. **शिक्षा:** हर एक बच्चे को शिक्षा लेने का मूलभूत अधिकार है। शिक्षा उसके व्यक्तित्व और मस्तिष्क को विकसित करती है। बच्चों को संविधान में अनुच्छेद 14 में समानता का और 15 में भेदभाव का विरोध करने का अधिकार दिया है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों को अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। सरकारी विद्यालयों में बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है और उसके साथ यूनिफार्म, पुस्तकें और भोजन भी दिया जाता है।

२. **स्वास्थ्य:** बच्चों को संविधान द्वारा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत स्वस्थ रहने का अधिकार है। किसी बच्चे का स्वास्थ्य अगर खराब रहता है तो उसे उचित प्रकार से उपचार पाने का अधिकार है। ग्रामीण परिवेश में कई लोग अंधश्रद्धा के चलते बीमारी में झाड़-फूंक करते हैं इससे कई बार बच्चों की जान को खतरा हो जाता है। उपचार करते वक्त लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए दोनों को समानता से उपचार पाने का दोनों को भी अधिकार है।

३. **प्रोत्साहन:** बच्चों को सीखने के लिए या अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। सीखते वक्त बच्चों में कई गलतियां होती है तब उन गलतियों को अनदेखा कर उसे अच्छे कार्य के लिए प्रेरीत करना चाहिए।सीखते वक्त गलतियां होने पर पालक उन बच्चों को डांटते हैं जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बालकों को गलती ही न करने की और अच्छे तरीके से कार्य करने हेतु प्रोत्साहन देना चाहिए। बच्चों की इच्छा, रुचि,आकांक्षाओ को भी पालकों को ध्यान रखना चाहिए।

४. **सुरक्षा का अधिकार:** संविधान में अनुच्छेद 46 के अंतर्गत बच्चों को दंडित करना या मारना बच्चों के अधिकार के खिलाफ है। हर एक बालक को सुरक्षित रहना यह उसका मौलिक अधिकार है। बच्चों को सुरक्षित और हिंसा मुक्त रखना चाहिए। पालकों को बच्चों के लैंगिक शोषण मुक्त रखने की जिम्मेदारी होती है साथ ही बच्चों के विकास के लिए घर का वातावरण भी सुरक्षित और हिंसा मुक्त होना चाहिए।

५. **खेल:** विधान में अनुच्छेद 46 के तहत खेल-कूद और मनोरंजन का अधिकार है बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल बहुत जरूरी है। पालकों को बच्चों को खेलने देना चाहिए या अगर किसी बच्चे की एक खेल में रुचि हो तो उसे उस खेल की सुविधा देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार को भी हर एक गांव और शहर में बच्चों के लिए खेल के मैदान उपलब्ध करा कर देना चाहिए तभी हमारा देश खेल में आगे बढ़ सकता है।

६. **काम:** अनुच्छेद 23 के अंतर्गत 14 साल के बालकों द्वारा काम करवाना अपराध है।कारखानों में या होटलों में या अन्य कई जगह छोटे-छोटे बच्चों द्वारा शारीरिक काम करवा लिया जाता है जिससे उनका शारीरिक और मानसिक

हनन होता है। कम उम्र में ज्यादा शारीरिक काम करने से उनका शारीरिक हनन होता है । आर्थिक दृष्टि के लिए बच्चों द्वारा काम करवाना उनके अधिकार के खिलाफ है।

७. **भोजन:** बच्चों को भरपेट और पोषक भोजन मिलना मूलभूत अधिकार ह पालकों को चाहिए कि अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और शारीरिक विकास के लिए अच्छा स्वस्थ भोजन दे। पोषक भोजन का बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अच्छा हेल्दी भोजन करने वाले बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा ही रहता है।

८. **विचार रखना:** बच्चों को अपनी बात रखने का या अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार है। घर में बच्चों को अपने विचार सबके सम्मुख रखने के लिए घर का वातावरण भी फ्री और सुरक्षित होना चाहिए।बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। बच्चों के विचारों को अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और अच्छी बातें को प्रोत्साहित करना चाहिए।

९. **विशेष सुरक्षा:** विकलांग बच्चों को पूरा सुरक्षित रहने का अधिकार है।उन्हें उपेक्षित समझना या कम नहीं आंकना चाहिए। उन्हें भी सभी बच्चों की तरह प्रेम करना जरूरी होता है।उन्हें असुरक्षित वातावरण से दूर रख कर उनका अच्छी तरह से देखभाल कर उनके विकास के लिए प्रयास करना चाहिए तभी वह विकास के प्रवाह में आ सकते हैं.

बाल अधिकार के लिए हमें निम्न बातों का प्रयास करना चाहिए

- हमें उनको पूरा विकास और सुरक्षा का आनन्द लेने का मौका देना चाहिये।
- इस बात को सुनिश्चित करें कि बाल अधिकार के कानून, नियम, और लक्ष्य का पालन हो।
- बाल अधिकारों को मजबूत करने के लिये समाज को लगातार इस पर कार्य करना होगा।
- पूरे देश में बाल अधिकार योजना को फैलाना, प्रचारित और प्रसारित करना है।
- देश के हर भाग में बच्चों के रहने की स्थिति को गहराई से निगरानी करें।
- बढ़ते बच्चों के विकास में उनके अभिवावक की मदद करना। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जिम्मेदारी के लिये उनके माता-पिता को जागरुक करना।
- कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये नई बाल अधिकार नीति को बनाना और लागू करना।
- बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा, दुर्व्यवहार को रोकना, उनके अच्छे भविष्य के लिये उनके सामाजिक और कानूनी अधिकारों को प्रचारित करना।
- देश में बाल अधिकार नीतियों को लागू करने की अच्छाई और बुराई का विश्लेषण करना।
- देश में बच्चों के व्यापार के साथ ही शारीरिक शोषण के खिलाफ कार्य और विश्लेषण करना।

अत: भारत के संविधान में बच्चों के विकास के लिए कई प्रावधान है जो बच्चों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी का दायित्व है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देकर उनके विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें ताकि वह देश के एक अच्छे नागरिक बन सकें। उन्हे शिक्षा समानता और स्वास्थ्य का अधिकार अच्छी तरह से मिल सके

संदर्भ

१. बाल मजदूरी रोकें, शिक्षा बढ़ाएं - UNICEF India (https://www.unicef.org/india/what-we-do/child-labour)

२. बाल श्रम के खिलाफ संघर्ष: एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण - NCBI
   a. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4697485/)

३. बाल हिंसा और बाल उत्पीड़न: एक विवेचना - National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)
   a. (http://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&&sublinkid=1311&lid=1666)

४. बाल उत्पीड़न रोकें: भारत सरकार के कार्यक्रम - Ministry of Women and Child Development, Government of India (https://wcd.nic.in/child-protection/bal-utpidan)

५. बाल हिंसा रोकें: एक नेशनल कॉल टू एक्शन - Ministry of Women and Child Development, Government of India (https://wcd.nic.in/child-protection/bal-hinsa)

६. बाल संरक्षण अधिनियम 2000 - National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) (http://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&&sublinkid=1311&lid=1666)